

615/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये




Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 286094



20 JAN 2015

बयनामा

बयनामा	3,12,500 / -रु०
मालियत	18,30,000 / -रु०
स्टाम्प	1,28,100 / -रु०

हम कि रंजीत सिंह पुत्र श्री जबर सिंह निवासी ग्राम हरथला तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवम् शैल इन्फ्राटेक लि० एम०एम०आई०जी० ए-138 रामगंगा विहार फेस प्रथम मुरादाबाद द्वारा अधिकृत करन सिंह अरोरा पुत्र स्व० श्री वीर सिंह अरोरा निवासी डी-1/49 आशियाना फेस द्वितीय मुरादाबाद द्वितीय पक्ष (क्रेता) के हैं।

48

128100

12-11
24

रंजीत सिंह

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

जिला उत्तर प्रदेश

E 28609



20 JAN 2015

जो कि एक किता भूखण्ड रकबई 146.25 वर्ग मीटर² (एक सौ छयालीस दशमलव दो पांच वर्ग मीटर) जिसके अन्दर एक टीनशैड बना हुआ पैमाईशी बमुजिब नवशा बरंग सुर्ख स्थित हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद मुतालिक खसरा संख्या 155 जिस पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) बहंसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है। तथा प्रथम पक्ष (विक्रेता) को आराजी मजकूर की वादत हर अख्तायारात मय इन्तकालात हासिल है जोकि इस समय तक प्रत्येक प्रकार से पूर्णरूपेण स्वच्छ व विवाद रहित व ऋण मुक्त है। इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज सरकारी या गैर सरकारी आदि नहीं है


उपरोक्त सि

2/1/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 286097



20 JAN 2015

3
तथा यह भूमि प्रत्येक प्रकार से रहन, बय, हिबा किफालत, जमानत कुर्की नीलामी आदि से पूर्णतया मुक्त है तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त है तथा इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अत्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है वूकि इस सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरुस्ती होश हवास खनसा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाव नाजायज किसी के खूद साध समझकर तनामी शय मुबईया मजकूर हर किरम व मयहक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिक उनको

रजनीश शर्मा

शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 286092



20 JAN 2015

बिना छोड़े किसी जुज व हक बिल ऐवज मुबलिंग 4
3,12,500/-रुपये (तीन लाख बारह हजार पांच सौ रुपये)
जिसके आधे 1,56,250/-रु० (एक लाख छप्पन हजार दो सौ
पचास रुपये) होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (शैल इन्फ्राटेक लि०
एम०एम०आई०जी० ए-138 रामगंगा विहार फेस प्रथम
मुरादाबाद द्वारा अधिकृत करन सिंह अरोरा पुत्र स्व० श्री
वीर सिंह अरोरा निवासी डी-1/49 आशियाना फेस
द्वितीय मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल
जरे समन उसका तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल

रमेश सिंह

रमेश सिंह



205 HAL 0 5

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रूपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 286091



20 JAN 2015

5
पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल
द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी
मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष
(विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नहीं रहा है और ना
ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा
कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज
कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में
किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखाह या औलाद या
अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय
मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान

रजत सिंह

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 436932



16 JAN 2015

द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफफुज शय
मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा
करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष
(विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला
हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार
व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा वनीज आज तक की
तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की
होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह
कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज
कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई

रमजान सिंह



रमजान सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 436933



16 JAN 2015

उज व एतराज नही होगा लिहाजा यह बयनामा खूब सोच
समझकर बिना किसी दबाव नाजायज किसी के लिख दिया है।
ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। पक्षकारान के फोटो
गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने
सत्यापित किये हैं।

सुभाष चंद्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 436934



16 JAN 2015

8
नोट:-विक्रीत भूखण्ड का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के प्रारूप 2 पृष्ठ 23 क्रम सं0 1046 के अनुसार 12,000/-रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है। जिससे मूल्यांकन 17,55,000/-रुपये होता है तथा इसमें एक टीनशैड जो लगभग 20 वर्ष पुराना है 10 वर्गमीटर है जिसका मूल्यांकन 7,500 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है जिससे कीमत 75,000/-रुपये होता है इसे प्रकार कुल मालियत 18,30,000/- रुपये होती है तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रीत भूखण्ड मुख्य सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। वर्तमान में भूखण्ड पर टीनशैड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। तथा

इनाजील सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 282738

9
मौके पर कोई रास्ता नहीं है आराजी वक्फ या कस्टोडियन की
सम्यत्ति नहीं है। जिसकी बावत पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को
कोई इकरार नामा मुआयदावय व बयनामा आदि नहीं किया गया
है।

चतुर्सीमाएँ -

- | | | |
|--------|---|--------------------|
| पूरब | - | खेत नौरंग |
| पश्चिम | - | प्लाट विद्या देवी |
| उत्तर | - | प्लाट दीगर शख्स |
| दक्षिण | - | आराजी सविता गुप्ता |

रमजी १९१२

रमजी १९१२


आज दिनांक 21/01/2015 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 9544

पृष्ठ सं. 41 से 64 पर क्रमांक 615

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वी० के० आनन्द (प्रभारी)

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

21/1/2015